अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

उपायुक्त का न्यायालय, गुमला

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

मांगो उरांव वगै0
बनाम
सचिव, कार्तिक उरांव
विद्यालय, सिसई वगै0

आदेश फलक तारीख............से..............तक।जिला – गुमला

वाद सं0 :– **43/2016–17**

वाद का प्रकार :– अनुमति वाद (Permission)

आवेदक 1. मांगो उरांव पिता – स्व0 जयराम उरांव
ग्राम– अरको महुआटोली थाना–सिसई जिला– गुमला
2. रामचन्द्र भगत पिता – स्व0 जेरकु उरांव
ग्राम– मुरगु अम्बाटोली थाना–सिसई जिला– गुमला
3.महाबीर उरांव पिता–स्व0–मंगरा उरांव
ग्राम– बरगांव थाना–सिसई जिला– गुमला
4. घुमा उरांव पिता–स्व0 बुधवा उरांव ग्राम+पो0+थाना–सिसई जिला–गुमला

के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 49(1)(ग) के अंतर्गत् अपने स्वामित्त्व के निम्नांकित भूमि को सचिव, कार्तिक उरांव उच्च विद्यालय, सिसई को दान में देने के लिए अनुमति हेतु आवेदन देकर अनुरोध किए हैं।

क्र0	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (ए0 में)
1.	सिसई	–	140	2245	1.22
	कुल				

1.22 एकड़

आवेदन पर दिनांक – 17.03.2017 को सुनवाई प्रारंभ करते हुए आम नोटिस निर्गत करने के साथ संबंधित अंचल अधिकारी, सिसई से वर्णित भूमि व विषय के परिप्रेक्ष्य में जाँच–प्रतिवेदन, मंतव्य के साथ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अंचल अधिकारी, सिसई द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– सिसई के खाता नं0– 140 पलॉट संख्या 2245 रकबा 1.22एकड़ भूमि का दान देने हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया गया है परन्तु उक्त खाता में मात्र 1.20 एकड़ का जमाबंदी कायम है। जांच प्रतिवेदन नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई अग्रसारित किया गया है।

उभय पक्षों द्वारा वाद की कार्रवाई प्रारंभ करने के पश्चात लगातार अनुपस्थित रहे जिसे उनका पक्ष को नहीं सुना गया। साथ ही छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 49(1)(ग)में आदिवासी भूमि को दान में देने से संबंधित अनुमति देने का कोई प्रावाधान नहीं है।

अतः इस परिप्रेक्ष्य में अनुंमति वाद की कार्रवाई अस्वीकृत की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Scanned with CamScanner